पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांकः /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/जी–4 दिनांकः27.11.2018

विषय :– उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों का बीजक माह के प्रथम सप्ताह तक बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

समस्त आहरण वितरण अधिकारी,
पिटकुल।

कृपया उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, सैनिक कल्याण अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1198/XVII-5/2016–09(17)/2004–TC-2 दिनांक 31.10.2018 की छायाप्रति संलग्नकों सहित आपको इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

सलग्नकः–यथोपरि।

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा0सं0)

पत्रांकः 2063/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/जी–4 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सहायक–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निदेशक (वित्त)/(परिचालन)/(परियोजना), पिटकुल, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता को इस आशय के साथ कि अपने स्तर से भी अपने अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को पत्र में दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. उपमहाप्रबन्धक (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया पत्र को संलग्नकों सहित पिटकुल की वैबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा0सं0)

संख्याः– 1198 / XVII-5 / 16–09(17) / 2004-TC-2

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(i) समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

(ii) मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।

(iii) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(vi) समस्त विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड।

सैनिक कल्याण अनुभाग **देहरादून : दिनांक 31 अक्टूबर, 2018**

विषयः–उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों का बीजक माह के प्रथम सप्ताह तक बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के पत्र संख्या–23 / उपनल / बीजक / 2018 दिनांक 20 अक्टूबर, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि विभागों / कार्यालयों में कार्यरत उपनल कार्मिकों का बीजक माह के प्रथम सप्ताह तक बनवाये जाने के संबंध में है। अवगत कराया गया है कि उपनल के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों की उपस्थिति विभागों द्वारा विलम्ब से प्रेषित किये जाने के कारण वेतन बीजक विलम्ब से प्रस्तुत किये जाते हैं, जिसके कारण प्रत्येक माह की 15 तारीख तक ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 की धनराशि जमा न होने की स्थिति में विलम्ब शुल्क लगाया जाता है।

इस संबंध में मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि उपनल के माध्यम से विभागों में प्रायोजित कार्मिकों की उपस्थिति प्रत्येक माह 03 तारीख तक प्रबन्ध निदेशक, उपनल को उपलब्ध कराये जाने हेतु अपने स्तर से संबंधित कार्यालयों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1 XVII-5 / 16–09(17) / 2004-TC-2 तद् दिनांक

प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम को उनके उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।

GO UPNAL 2016

उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल)
Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam (UPNL)

Station Sub Area Canteen Complex, Garhi Cantt, Dehradun - 248 003 Telefax : 0135-2754041
स्टेशन सब एरिया कैन्टीन कॉम्पलेक्स, गढ़ी कैन्ट, देहरादून–248003 टैलीफैक्सः 0135-2754041
E-mail : upnl.ua@rediffmail.com

उपनल / बीजक / 2018 / 23

20 अक्टूबर 2018

सेवा में,

अपर सचिव
सैनिक कल्याण
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून।

विषयः– विभागों में कार्यरत उपनल कर्मचारियों का बीजक माह के प्रथम सप्ताह तक बनवाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

1. आपके संज्ञान में लाना है कि विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में कार्यरत उपनल कर्मचारियों की उपस्थिति विलम्ब से आने के कारण उनका वेतन बीजक विलम्ब से बनते हैं और विभाग द्वारा भी वेतन भुगतान विलम्ब से भेजा जाता है जिससे कर्मचारियों को वेतन भी समय से नहीं मिल पाता है। उपनल कार्यालय द्वारा उपनल कर्मचारियों के बीजक के आधार पर प्रत्येक माह की 15 तारीख तक ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 की धनराशि जमा करना आवश्यक होता है। कर्मचारियों का वेतन बीजक 15 तारीख के बाद बनने पर ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 द्वारा विलम्ब शुल्क **(Penalty)** लगायी जाती है जिस कारण उपनल को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न विभागों / कार्यालयों को आदेश देना चाहें कि उपनल कर्मचारियों की उपस्थिति प्रत्येक माह के 03 तारीख तक आवश्यक रूप सें प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि उनका बीजक समयानुसार प्रेषित किया जा सके और उपरोक्त लगायी जाने वाली अतिरिक्त पेनाल्टी से बचा जा सके।

धन्यवाद!

2264
US(SK)
23/10/18

भवदीय,

कर्नल वी0पी0 नौटियाल (अ0प्रा0)
उप महाप्रबन्धक (वित्त)

Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam Ltd. ★ Dehradun ★